(183)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2241—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 12—04—2016 के द्वारा तहसीलदार, बांधवगढ़, जिला—उमरिया के प्रकरण क्रमांक 62/ए—6/2012—13

.....

कृष्णदत्त तिवारी पुत्र श्री अंगतराम तिवारी
निवासी—ग्राम चन्द्रवार, तहसील बांधवगढ़
उमरिया, जिला—उमरिया(म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— विश्राम लोहार पुत्र स्व0 श्री दयाराम लोहार
दत्तक पिता स्व0 श्री रघुवीर लोहार
निवासी—ग्राम चन्द्रवार थाना उमरिया,
जिला—उमरिया(म0प्र0)
2— रघुवीर मृत
3— याशोदा पुत्री रघुवीर मृत
4— भगवान दीन मृत
5— दयाराम मृत
निवासीगण—ग्राम चन्द्रवार थाना उमरिया,
जिला—उमरिया (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 19-05-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, बांधवगढ़, जिला—उमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 12—04—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसील बांधवगढ़ स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1220/2108 रकबा 2.40 एकड़ के नामांतरण के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 विश्राम लोहार द्वारा वारिसान नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आवेदक की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी फौत है तथा वारिसों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वारिसाना नामांतरण का जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह खारिज किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ती पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2016 को आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ती को निरस्त किया गया । इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 12.04.2016 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। आवेदक श्री कृष्णदत्त पिता स्व0 अंगदराम तिवारी द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि पूर्व में इसी वाद भूमि खसरा क्र0 1220/2108 रकबा 0.567 हैक्टेयर स्थित ग्राम छटन केम्प ज0नं0 45 पटवरी हल्का विकटगंज क्र0 08 रा0नि0मं0 उमरिया पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये नामांतरण आवेदन रा0प्र0क्र0 01/अ–6/2009–10 आदेश दिनांक 26.12.2011 से आवेदन–पत्र खारिज किया गया था। लेकिन इसी वाद भूमि पर ही अनावेदक क्र0 1 विश्राम लोहार द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है, तथा इसी वाद भूमि पर सिविल न्यायालय में व्यवहार वाद क्र0 12ए/12 विचाराधीन है, तथा अनावेदक द्वारा प्रकरण में फौत व्यक्ति का मृत्यु का दिनांक उल्लेखित नहीं है।

4/ वर्तमान प्रस्तुत प्रकरण वारिसाना दाखिल खारिज से संबंधित है जो कि सीधा–साधा मृत भूमिस्वामी के दर्शित वारिसान को उत्तराधिकार क्रम में भूमिस्वामी अधिकार अंतरण करने हेतु लागू की गई प्रक्रिया है। रेस ज्यूडीकेटा का सिद्धांत एक ही विषय वस्तु पर एक ही संदर्भ में दो बार कार्यवाही करने की आज्ञा नहीं देता है। आवेदक द्वारा प्रथम बार नामांतरण की विषय वस्तु पर बिक्रीनामा के संदर्भ के आधार पर नामांतरण आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि अनावेदक क्र0 1 ने नामांतरण की विषय वस्तुत पर संहिता की धारा 109, 110 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वारिसाना दाखिल खारिज के संदर्भ में नामांतरण

हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है अर्थात् विषय–वस्तु एक ही है किन्तु संदर्भ अलग–अलग है। माननीय सिविल न्यायालय में प्रचलित व्यवहार वाद आवेदक के बिक्रीनामे के आधार पर स्वयं को भूमिस्वामी घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा विश्राम लोहार को पक्षकार बनाया गया है । अर्थात् अनावेदक क्र0 1 विश्राम लोहार, इस प्रकरण में अनावेदकगण की वाद भूमि की हितबद्धता को स्वीकारता है। इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र में खसरा अभिलेख में वर्तमान दर्ज फौत भूमिस्वामीगण के मृत्यु प्रमाण–पत्र तथा अन्य साक्ष्यों को सिद्ध करना अर्थात् अपने वाद को सिद्ध करने का भार अनावेदक पर स्वयं है, जिसमें सफल या असफल होने पर प्रकरण का निर्णय आधारित होगा।

5/ ऊपर वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार वारिसाना दाखिल व खारिज करना राजस्व न्यायालय का कर्तव्य है एवं अनावेदक का अधिकार है, जो उसे संहिता की धारा 109 व 110 प्रदान करती है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांधवगढ़ द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त की है। तहसीलदार बांधवगढ़ द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

6/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बांधवगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2016 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक की निगरानी खारिज की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर